



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2017/पौष 16, 1938

No. 41]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2017/PAUSA 16, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, .2017

का.आ. 46(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिलाधिकारी एवं कलेक्टर, दक्षिण त्रिपुरा, बेलोनिया को त्रिपुरा राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 0.000 कि०मी० से 1.200 कि०मी० (सबरूम- भारत/बांग्लादेश सीमा खंड) तक के भूखण्ड का निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/चौड़ा करने, आदि), अनुसूचना, प्रबंध और प्रचालन के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

त्रिपुरा राज्य में संपर्क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 0.000 कि०मी० से 1.200 कि०मी० (सबरूम- भारत/ बांग्लादेश सीमा खंड) तक की बाबत भूमि का अर्जन

क्र०सं०	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गांव का नाम
1	दक्षिण त्रिपुरा	सबरूम	सबरूम पी. एस.	सबरूम शीट नं 1 & 3
				डौलबरी शीट नं 3

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/त्रिपुरा/ फेनी/ एल ए क्यू/2016]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2017

S.O. 46(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes **Additional District Magistrate & Collector, South Tripura District, Belonia** as the competent authority to perform the functions of such Authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land km 0.000 to km 1.200 (Sabroom-India/ Bangladesh Border Section) link of the National Highway No. 8 for building (Two-laning with paved shoulder), maintenance, management and operation in the State of Tripura under NH (O) as specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of the link of National Highway No. 8 in the State of Tripura on the stretch from km. 0.000 to km. 1.200 (Sabroom- India/ Bangladesh Border Section)

Serial Number	District	Taluk	Police station	Name of village
1	2	3	4	5
1	South Tripura	Sabroom	Sabroom P.S.	1. Sabroom Sheet No. 1 & 3 2. Doulbari Sheet No. 3

[F. No. NHIDCL/Tripura/Feni/LAQ/2016]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.